



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. 1885/ Type Approval No.: 1885

मद/FOR ITEM: कार्ट्रीज पीडीओ-1 इलेक्ट्रिक इग्नाइटर
Cartridge PDO-1 Electric Igniter

यह प्रमाणित किया जाता है कि आरममेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (ए आर डीई), डी आर डी ओ, आर्ममेंट पी.ओ, पाषाण, पुणे- 411 021, द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा उत्पादित " कार्ट्रीज पीडीओ-1 इलेक्ट्रिक इग्नाइटर ", पार्ट सं. 312के/138 को असेंब्ली आरेखन सं. 0901 00 00 01 00 000 00पीए, रिविजन सं.1.0, इश्यू सं. शून्य, दिनांक 01 जुलाई 2013 के अनुसार मिग-29/एसयू-30 एमकेआई वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (एए) के समन्वय से तकनीकी विनिर्देश संदर्भ दस्तावेज़ सं. एडीआरडीई/एसपीईसीएन/682 और 683, रिविज़न सं. 1.0, इश्यू:01, दिनांक 16 अप्रैल 2013 और क्वालिटी टेस्ट प्रोसीजर दस्तावेज़ सं. एपीपी/पीसी/टीटीएस-पीडीओ-1/01, दिनांक 28 सितंबर 2011 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Cartridge PDO-1 Electric Igniter" bearing the Part No.: 312K/138 Designed, Developed and Manufactured by Armament Research and Development Establishment (ARDE), DRDO, Armament P.O, Pashan, Pune-411 021, is hereby approved for production as per Assembly Drawing No.: 0901 00 00 01 00 000 00PA, Rev. No.:1.0, Issue No.: Nil, Dated: 01st July 2013 for use on MiG- 29/ SU-30MKI aircraft. It has been tested in co-ordination with RCMA (AA) as per Technical Specification Ref. Doc No.: ARDE/SPECN/682 and 683, Rev. No.:1.0, Issue: 01, Dated: 16th April 2013 and Qualification Test Procedure Doc No.: APP/PC/TTS-PDO-1/01, Dated: 28th September 2011. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (ए.ए), पाषाण, पुणे - 411 021, से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st December 2020 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (AA), Pashan, Pune 411 021, for subsequent renewal, Three (3) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।


Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'
सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1885
दिनांक/Date : 28 March 2016
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

28/03/16
12


पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)